रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128

REGISTERED No. D. (D.N.)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 24, 1987/कार्तिक 2, 1909
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 24, 1987/KARTIKA 2, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1987

का. नि. आ. 327 :— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, प्रोग्राम कार्यालय और सचिवालय [प्रोग्राम अधिकारी, उप प्रोग्राम अधिकारी, सहायक प्रोग्राम अधिकारी, कनिष्ठ प्रोग्राम, अधिकारी और आशुलिपिक श्रेणी 'ख' (ज्येष्ठ वैयक्तिक सहायक)] पद भर्ती नियम, 1985 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1)— इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, प्रोग्राम कार्यालय और सचिवालय [प्रोग्राम अधिकारी, उप प्रोग्राम अधिकारी, सहायक प्रोग्राम अधिकारी, कनिष्ठ प्रोग्राम अधिकारी और आशुलिपिक श्रेणी "ख" (ज्येष्ठ वैयक्तिक सहायक)] पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1987 है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग प्रोग्राम कार्यालय और सचिवालय [प्रोग्राम अधिकारी, उप प्रोग्राम अधिकारी, सहायक प्रोग्राम अधिकारी, कनिष्ठ प्रोग्राम अधिकारी, और आशुलिपिक श्रेणी "ख") (ज्येष्ठ वैयक्तिक सहायक)] पद भर्ती नियम, 1985 की अनुसूची में सहायक प्रोग्राम अधिकारी (साधारण) से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

Attested

Asstt Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable.	By transfer on deputation.	TRANSFER ON DEPUTATION : (I) Officers from the Organised Accounts Services holding posts in the senior scale (Rs. 3000-4500) on regular basis or with 5 years regular service in the junior Group 'A' scale (Rs. 2200-4000); or (II) Audit/Accounts Officer from any of the organised Accounts Department with 7 years' regular service in the grade; or (III) Officers under the Central Government— (a) (i) Holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 2200-4000 or equivalent; or (iii) With 8 years regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; and (b) having experience in Financial Management and planning in a Scientific Organisation/Project/Programme. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

[16345/RD/Pers—5423/D(R&D)]

Note :—The Principal recruitment rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 4 vide S.R.O. 12 dated the 12th January, 1986.

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1987

का. नि. आ. 328.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (दूसरा संशोधन) नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 के नियम 8 में, उप नियम (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

(क) उपनियम (1) के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी :—

(क) वैज्ञानिक "ख" की श्रेणी में प्रतिवर्ष अधिक से अधिक 200 रिक्तियां, अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट पद प्रशिक्षुवृत्ति स्कीम के अधीन अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर उनकी नियुक्ति द्वारा भरी जा सकेंगी ; और

(ख) वैज्ञानिक "ख" की श्रेणी में प्रतिवर्ष अधिक से अधिक 250 रिक्तियां अनुसूची 5 में यथाविनिर्दिष्ट एम.एस.सी. कंप्यूटर विज्ञान (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) के कोर्स अभ्यर्थियों द्वारा सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर उनकी नियुक्ति द्वारा भरी जा सकेंगी।

[10351/डी आर डी एस/आर डी/कार्मिक-1/5487/डी/आर एंड डी)]

दुर्गादास, अवर सचिव

टिप्पणी : रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, का. नि. आ. 8, तारीख 30 दिसम्बर, 1978 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 4 में प्रकाशित हुए थे और तत्पश्चात् उनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया:—

का. नि. आ. 307, तारीख 10 अक्तूबर, 1980
का. नि. आ. 196, तारीख 2 अगस्त, 1980
का. नि. आ. 159, तारीख 5 मई, 1983
का. नि. आ. 176, तारीख 7 अगस्त, 1984
का. नि. आ. 228, तारीख 13 नवम्बर, 1984
का. नि. आ. 170, तारीख 12 जुलाई, 1985
का. नि. आ. 186, तारीख 2 अगस्त, 1985
का. नि. आ. 228, तारीख 6 जून, 1986
का. नि. आ. [illegible], तारीख 4 मई, 1987

Attested

[signature]

Asstt. Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

अनुसूची

[नियम 8(क) (ख) देखिए]

अभिहित विश्वविद्यालयों में कम्प्यूटर विज्ञान (कम्प्यूटर यंत्रेतर सामग्री) में एम. एस. सी. डिग्री पाठ्यक्रम के लिए अभ्यर्थी प्रायोजित करने की कनिष्ठ अध्येतावृत्ति स्कीम।

इस स्कीम के अधीन कनिष्ठ अध्येताओं की नियुक्ति करने के संबंध में निबंधन और शर्तें निम्नलिखित होंगी।

1. देश के कतिपय विश्वविद्यालयों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थियों के लिए कम्प्यूटर विज्ञान (कम्प्यूटर यंत्रेतर सामग्री) में एम. एस. सी. डिग्री पाठ्यक्रम संचालित करने के प्रयोजन के लिए अभिहित किया जाएगा।

2. प्रवेश के लिए कनिष्ठ अध्येता विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा अखिल भारतीय आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों में से चुने जाएंगे जिनकी आयु प्रवेश वर्ष की 1 जनवरी, को 23 वर्ष से नीचे हो और जिनके पास निम्नलिखित विषयों 60% से अन्यून संकलित अंक के साथ बी. एस. सी. की डिग्री होगी :

(i) गणित (मुख्य) भौतिक विज्ञान (सहायक सहित) : या

(ii) भौतिक विज्ञान (मुख्य) गणित (सहायक सहित) : या

(iii) भौतिक विज्ञान और गणित समुच्चय।

3. पाठ्यक्रम की सामान्य अवधि दो वर्ष (चार सेमिस्टरों) की होगी. कनिष्ठ अध्येताओं से ऐसी सभी जांच/परीक्षाएं पास करने की अपेक्षा की जाएगी जो एम. एस. सी. (कम्प्यूटर विज्ञान) पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विहित की जाएं। पाठ्यक्रम के दौरान किसी भी समय बिना किसी सूचना के या कोई कारण बताए बिना कनिष्ठ अध्येता उन्मुक्त किए जाने के दायित्व के अधीन होंगे।

4. कम्प्यूटर विज्ञान (कम्प्यूटर यंत्रेतर सामग्री) की एम. एस. सी. डिग्री पाठ्यक्रम में सम्मिलित अभ्यर्थियों को अध्येतावृत्ति के रूप में प्रतिमाह 800 रुपए की समेकित रकम संदत्त की जाएगी और वे किसी अन्य भत्ते के लिए हकदार नहीं होंगे।

5. चयनित अभ्यर्थियों से पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि के लिए सेवा करने का बन्धपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जाएगी जिसे नहीं करने पर बन्धपत्र में वर्णित रकम उनके द्वारा सरकार को संदत्त किया जाना अपेक्षित होगा।

6. ऐसे अभ्यर्थियों पर जिन्हें कम्प्यूटर विज्ञान (कम्प्यूटर यंत्रेतर सामग्री) में एम.एस.सी. की डिग्री प्रदान की जाती है और जो 60% सकल अंक प्राप्त करते हैं, रक्षा अनुसंधान विकास सेवा नियम 1979 के नियम 8(क) (ख) के निबन्धनों के अनुसार रक्षा अनुसंधान विकास संगठन में वैज्ञानिक "ख" के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा। परन्तु ऐसा तब होगा, जब उन्हें चयन बोर्ड द्वारा ऐसी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है।

7. अभ्यर्थियों को, जो 60% सकल अंक प्राप्त करने में असफल रहते हैं, आगामी दो सेमेस्टरों के दौरान सुसंगत विषयों में पुन: परीक्षा देकर अंक बढ़ाने का दूसरा अवसर दिया जाएगा किन्तु वे बढ़ाई गई अवधि के दौरान किसी अध्येतावृत्ति की रकम के हकदार नहीं होंगे।

8. ऐसे कनिष्ठ अध्येता र. अ. वि. से. में वैज्ञानिक "ख" के रूप में नियुक्त किए जाने पर उन वैज्ञानिकों से, जिनको वैज्ञानिक "ख" के रूप में नियुक्ति के लिये चयन उस तारीख से पहले किया गया है, जिसको सेवा में नियुक्ति के लिए इनका चयन किया गया है, एक साथ कनिष्ठ रहेंगे। कनिष्ठ अध्येताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता चयन बोर्ड द्वारा समनुदेशित योग्यता के आधार पर अवधारित की जाएगी।

New Delhi, the 25th September, 1987

S.R.O. 328.—In exercise of the powers conferred by the proiso to article 309 of the of the constitution, the President hereby makes the following rules to further amend the Defence Research and Development Service Rules, 1979, namely

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Service (2nd Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into froce on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Research and Development Service Rules, 1979, in rule 8, for sub-rule (1A), the following sub-rule shall be substituted, namely

"(1A) Notwithstanding the provisions of sub-rule (1),—

(a) not more than 200 vacancies per year in the grade of Scientist 'B' may be filled by appointment of "Fellows" on their successful completion of training under the "Fellowship Scheme" as laid down in Schedule IV; and

(b) not more than 250 vacancies per year in the grade of Scientist 'B' may be filled by appointment of "Junior Fellows" on their successful completion of MSc. Computer Science (Computer Software) Degree Course as laid down in Schedule V."

[10351/DRDS/RD/Pers-1/5487/D(R&D)]

DUGRA DASS, Under Secy.

Note.—The Defence Research and Development Service Rules published in the Gazette of India, Part II, Section 4, vide S.R.O. 8 dated the 30th December, 1978, have been amended vide S.R.O. 307 dated the 10th October, 1980, S.R.O. 196 dated the 2nd August, 1982, S.R.O. 159 dated the 5th May, 1983, S.R.O. 176 dated the 7th August, 1984, S.R.O. 228 dated the 13th November, 1984, S.R.O. 170 dated the 12th July, 1985, S.R.O. 186 dated the 2nd August, 1985, S.R.O. 228 dated the 6th June, 1986 and S.R.O. 158 dated the 4th May, 1987.

SCHEDULE V

[See rule 8(1A)(b)]

Junior Fellowship Scheme for sponsoring candidates for M.Sc. Degree Course in Computer Science (Computer Software) in Designated Universities.

The terms and conditions of appointment of Junior Fellows under the Scheme shall be as follows :—

1. Certain Universities in the country shall be designated for the purpose of conducting the M.Sc. Degree Course in

Asstt. Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication.
Civil Lines. Delhi-54

Computer Science (Computer Software) for the candidates sponsored by the Defence Research and Development Organisation.

2. The Junior Fellows shall be selected on All-India basis by the different Universities for admission from amongst the candidates below 23 years of age on 1st January of the year of admission and possessing a B.Sc. Degree with not less than 60 per cent marks in aggregate in—

(i) Mathematics (main) with Physics (subsidiary);

OR

(ii) Physics (main) with Mathematics (subsidiary);

OR

(iii) Physics and Mathematics combination.

3. The normal period of course shall be 2 years (4 semesters). The Junior Fellows shall be required to pass all such tests/examinations as may be prescribed by the University for the M.Sc. (Computer Science) Course. During the course, the Junior Fellows are liable to be discharged at any time without any notice or assigning any reason.

4. The candidates admitted to the M.Sc. Degree Course of Computer Science (Computer Software) shall be paid a consolidated sum of Rs. 800 per month as fellowship and they shall not be entitled to any other allowance.

5. The selected candidates will be required to execute a bond to serve the Defence Research and Development Organisation for a minimum period of 5 years on successful completion of the course failing which they shall be required to pay to the Government the amount mentioned in the Bond.

6. The candidates who are awarded the Degree in M.Sc. Computer Science (Computer Software) and who obtain 60 per cent marks in aggregate shall be considered for appointment as Scientist 'B' in Defence Research Development Organisation in terms of Rule 8(1A)(b) of the Defence Research Development Service Rule, 1979 provided they are found suitable for such appointment by the Selection Board.

7. The candidates who fail to obtain 60 per cent marks in the aggregate shall be given another chance to make the grade by appearing again in the relevant subjects during the next two semesters. They shall not, however, be entitled for the fellowship amount during the extended period.

8. The Junior Fellows on their appointment as Scientist 'B' in the Defence Research and Development Service shall be en-block junior to those selcted for appointment as Scientist 'B' earlier than the date of their selection for appointment in the Service. The inter-se-seniority of the Junior Fellows shall be determined on the basis of merit assigned by the Selection Board.

Attested

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54

87/1336 GI—2

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987